International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 4 Issue 2 || February 2015 || PP 60-64

बाल अधिकारों का ऐतिहासिक विलेषण

डॉ0 निरंकार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल

डॉ0 दिलदार हुसैन
असि0 प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र)
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल

बाल अधिकार की संकल्पना नवीन है, लेकिन यह भी एक सामान्य अभिमत है, कि मानव सर्वत्र विधिक मूल्यों की माँग करता है जो उसके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को सुनिश्चित कर सके। इसलिए विश्व स्तर पर बाल अधिकारों की भी घोषणा हो चुकी है और बच्चों के अधिकार कानून का रूप ले चुका हैं। बाल अधिकार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की वह नैसर्गिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिनका उसके स्वाभाविक विकास के लिए होना अत्यन्त आवश्यक है। सयुंक्त राष्ट्र संघ के अनुसार '' 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सर्वागींन विकास के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली दशाऐं बाल अधिकार की श्रेणी में आती हैं''। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बाल अधिकारों की ऐतिहासिक विकास कम पर प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द :– बालक, अधिकार, बाल अधिकार

शोध उदेशय :– यह शोध लेख समाज में उपेक्षित बालकों के अधिकारों पर प्रकाश डालता है। बच्चें हर समाज के भविष्य होता है, लेकिन सबसे अधिक बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा एवं शोषण किया जाता है। बाल अधिकार की संकल्पना नवीन है। प्रस्तुत विवरणात्मक शोध का उददेश्य बाल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिका अध्ययन करना है।

बाल अधिकारों का वर्गीकरण

बाल अधिकार से तात्पर्य बच्चे को जन्म से पूर्व से लेकर व्यस्क होने तक प्राप्त होने वाली सुविधाऍं हैं जो उसको परिवार, पड़ौस, विद्यालय या अन्य सामुदायिक–औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवश्य मिलनी चाहिये। बच्चों के लिए प्रदत्त किये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में विश्व के सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन, शिक्षा, विकास के तथा शोषण से मुक्ति की सुविधायें अवश्य उपलब्ध होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए 54 अनुच्छेदों में बाल अधिकारों की व्यवस्था की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य पर यह कानून बाध्यकारी होते हैं।

बच्चों के अधिकारों को हम निम्नलिखित चार शीर्षकों के अन्तर्गत भली प्रकार से समझ सकते हैंः–

1– **जीवित रहने का अधिकार–** इन अधिकारों के अन्तर्गत बच्चे को जीने का, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर प्राप्त करने समुचित पोषाहार का, मानवोचित जीवन स्तर उपभोग करने का, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार सम्मिलित है। इस वर्ग के अधिकार बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, अप्राकृतिक एवं विकृत व्यवहार से सुरक्षा, कुपोषण से बचाव एवं विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

2– **विकास का अधिकार–** बच्चे के जीवित रहने के साथ–साथ उसका विकास भी सुनिश्चित होना चाहिये। विकास के अधिकार का तात्पर्य है समुचित शिक्षा, बचपन के दौरान समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार, खेलने का अधिकार तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष उपाय किये जाने के अधिकार सम्मिलित हैं।

3– **सुरक्षा का अधिकार–** सभी बच्चों को परिवार, समुदाय विद्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व अन्य सभी संस्थाओं में सुरक्षा का अधिकार होना चाहिये। सभी देश ऐसे सभी उचित विद्यायी प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे जिनसे माता–पिता, कानूनी अभिभावक और अन्य किसी व्यक्ति की देखरेख में रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक, हिंसा, चोट अथवा अपमान उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार, शोषण यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के साथ बाल श्रम व नशीले पदार्थो से बचाव का अधिकार भी बच्चे को होना चाहिये।

4– **सहभागिता का अधिकार–** बच्चे को परिवार, विद्यालय, खेलकूद में या अन्य सभी अवसरों पर सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिये। बच्चों को प्रत्येक मुद्दे पर विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सहभागिता के अधिकार में बच्चों के दृष्टिकोण के प्रति सममान, अभिव्यक्ति की आजादी, विवेक और धर्म के प्रति सम्मान तथा अभियुक्त बच्चों का अधिकार शामिल है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि बाल अधिकार का क्षेत्र काफी व्यापक है। जहॉ बाल अधिकारों का उल्लंघन परिवार से शुरू होता है वही इस समझौते की घोषण बाल अधिकारों की व्याख्या बच्चे के गर्भ से प्रारम्भ होती है। बाल अधिकारों में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और उचित पोषक स्तर की बात कही गयी। ताकि इस दुनिया में आने वाला मेहमान एक स्वस्थ नागरिक के रूप में हो।

बाल अधिकारों का विधिक विकास

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार का विकास 1924 में राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्राप्त होता है। जब बच्चों के अधिकार के **जेनेवा घोषणा** पत्र अंगीकार किया गया। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषण पत्र के प्रवधान आये।

मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकार किया जो बच्चों के अधिकार के लिए भी संरक्षण के लिए भी कतिपय उपाय किये गये। [01]

बाल अधिकारों की घोषणा [02] 1959 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने 20 दिसम्बर को बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अंगीकार किया। दस बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दांकित सिद्धान्तों की घोषणा बच्चों के स्नेह, प्यार और समझ के अधिकार खेलने, मनोंरंजन व्यक्तित्व गुणों के विकास, शान्ति और सार्वभोमिक भाईचारे की भावना के साथ–साथ विकलांग बच्चों की विशेष देखभाल शिक्षा को प्रथम वरीयता के अधार पर पाने का अधिकार देती है।

बच्चों के अधिकार को संरक्षण और गारन्टी देने में **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा** व **नागरिकों राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा** 16 दिसम्बर 1966 को स्वीकार की गई।[03]

बच्चों के कल्याण और रक्षा के मसाल को और आगे खिंचते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ''**बींजिंग नियम**'' अर्थात **किशोर न्याय प्रशासन** [04] के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 29 नवम्बर 1985 को स्वीकार किये गए।

बच्चों के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

बच्चों के अधिकार के संरक्षण का अन्तिम प्रक्रम तब पा लिया गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 20 नवम्र 1983 को बच्चों के अधिकार का अन्तार्राष्ट्रीय अभिसमय अंगीकार किया। जहां तक बचों के अधिकार का प्रश्न है यह एक महत्वपूर्ण विस्तृत संधि है और वर्षों के विस्तृत समझौता वार्ताओं का परिणाम है। यह बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लए कानूनी और नैतिक आधार प्रस्तुत करता हैं। यह अभिसमय उददेशिका के अतिरिक्त तीन भागों में बटां है।

भाग–प्रथम

अनुच्छेद–01 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वशर्ते बच्चे पर प्रयोज्य कानूनों के अन्तर्गत बच्चा इस उम्र से पहले व्यस्कता प्राप्त नही कर लेता। **अनुच्छेद–02** के अनुसार बच्चे के अभिभावक किसी भी भेदभाव के बिना बच्चे का सम्मान करेंगे, **अनुच्छेद–03** के अनुसार सभी कार्यो में बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर सबसे पहले ध्यान, **अनुच्छेद–04** के अनुसार सभी पदाधिकारी प्रसाशनिक, शैक्षिक उपाय, **अनुच्छेद–05** के अनुसार माता–पिता एवं संरक्षक बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का सम्मान, **अनुच्छेद–06** के अनुसार जीवित व विकास, **अनुच्छेद–07** के अनुसार राष्ट्रीयता का पंजीकरण, **अनुच्छेद–08** के अनुसार नाम राष्ट्रीयता व अस्मिता का अधिकार, **अनुच्छेद–09** के अनुसार निर्वासन् से मुक्ति, **अनुच्छेद–10** के अनुसार दूसरे देशों के परिवारों के पूनर्मिलन पर सकारात्मक दृष्टिकोण का अधिकार, **अनुच्छेद–11** के अनुसार गैर कानूनी रूप से विदेश जाने पर रोक व बहुपक्षिय समझौता, **अनुच्छेद–12** के अनुसार न्याायिक, प्रशासनिक कार्यवाही में मदद व परिपक्वता प्राप्त होने पर उसके विचारों पर महत्व का अधिकार, **अनुच्छेद–13** के अनुसार सभी प्रकार की अभिव्यक्ति, **अनुच्छेद–14** के अनुसार विचार, अंतरात्मा, धर्म की आजादी, **अनुच्छेद–15** के अनुसार संगठन बनाने **अनुच्छेद–16** के अनुसार निजता बनाये रखने **अनुच्छेद–17** के अनुसार जन संचार माध्यमों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाए प्राप्त करने **अनुच्छेद–18** के अनुसार बच्चों के देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता या कानूनी अभिावक द्वारा, **अनुच्छेद–19** के अनुसार शारीरिक मानसिक चोट अपमान उपेक्षा दुर्व्यहार व शोषण बचाव **अनुच्छेद–20** के अनुसार वंचित बच्चों का सरकार से विशेष संरक्षण **अनुच्छेद–21** के अनुसार संक्षम व्यक्तियों को बच्चों को गोद देना **अनुच्छेद–22** के अनुसार शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने **अनुच्छेद–23** के अनुसार मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उच्चतम सुविधा **अनुच्छेद–24** के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सुविधाऐं **अनुच्छेद–25** के अनुसार उपचार परिस्थितयों क संरक्षण **अनुच्छेद–26** के अनुसार सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा **अनुच्छेद–27** के अनुसार सामुचित जीबन स्तर **अनुच्छेद–28** के अनुसार उर्पुक्त व वांछित शिक्षा **अनुच्छेद–29** के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सांस्कृतिक पहचान भाषा, जीवन मूल्य की सुरक्षा **अनुच्छेद–30** के अनुसार जातिय, धार्मिक भाषायी या आदिम निवासी बच्चों का सम्मान, **अनुच्छेद–31** के अनुसार आराम खेलने, मनोरंजन, **अनुच्छेद–32** के अनुसार आर्थिक शोषण और जोखिम भरे कार्यों से बचाव **अनुच्छेद–33** के अनुसार नशीले पदार्थों से बचाव व उपचार **अनुच्छेद–34** के अनुसार यौन शोषण से मुक्ति **अनुच्छेद–35** के अनुसार अपरहण बिक्री व्यापार रोकने के लिए समझौते **अनुच्छेद–36** के अनुसार बच्चों के कल्याण **अनुच्छेद–37** के अनुसार यातना क्रूर, आमान्य, अपमान जनक व्यवाहार , मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास से मुक्ति **अनुच्छेद–038** के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चें का युद्ध में भाग लेने से रोक **अनुच्छेद–39** के अनुसार सशस्त्र संघर्ष से शिकार बच्चों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रदान करने **अनुच्छेद–40** के अनुसार कानून का उलघंन करने वाले बच्चों की न्यायपूर्ण सुनवाई **अनुच्छेद–41** के अनुसार समझौते में शामिल देश कानून अथवा अर्न्तराष्ट्रीय कानून में सन्निहित प्रावधान बच्चों के अधिकार संरक्षण के लिए लागू करना शामिल है

भाग–02

अनुच्छेद–42 के अनुसार समझौते मे शामिल देश इस अभिसमय का बच्चों तथा व्यस्कों में व्यापक प्रसार करेगें। **अनुच्छेद–43** के अनुसार समझौते में शामिल देश बाल अधिकरों की सफलता के लिए एक समिति गठित करेंगे **अनुच्छेद–44** के अनुसार समझौते में शाामिल देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बाल अधिकार प्रगति की रिपोर्ट दो वर्ष बाद ओर उसके बाद प्रत्येक 05 वर्ष बाद देगें **अनुच्छेद–45** के अनुसार इस अभिसमय के प्रावधानों के प्रभावी कार्याव्यन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयेाग को प्रोत्साहित करेंगे।

भाग–03

अनुच्छेद–46 के अनुसार सभी देश समझौते पर हस्ताक्षरित करेगें **अनुच्छेद–47** के अनुसार इस समझौते की पुष्टि की जाती है और पुष्टि की प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा की जायेगीं **अनुच्छेद0–48** के अनुसार कोई भी देश इस समझौते में शामिल हो सकता है **अनुच्छेद–49** के अनुसार यह समझौता पुष्टि होने की 20वीं प्रसंविदा के संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपे जाने की तिथि से 30वें दिन से लागू हो जायेगा **अनुच्छेद0–50** के अनुसार कोई भी देश संशोधन या प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास दर्ज करा सकता है जिसका निर्णय बहुमत के आधार पर होगा **अनुच्छेद0–51** के अनुसार समझौते के शामिल देश संशोधनों की पुष्टि या विभिन्न मुददों पर अपत्ति को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दर्ज करेंगे, वापिस लेगें साथ ही सभी देशों को सूचित करेगें **अनुच्छेद0–52** के अनुसार समझौते पर शामिल कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचना भेजकर इस समझौते को अस्वीकार कर सकता है **अनुच्छेद0–53** के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस समझौते के दस्तावेज और प्रसंविदा को रखने वाला अधिकारी नियुक्त किया गया है **अनुच्छेद0–54** के अनुसार इस समझौते का मूल पाठ इसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच रूसी और स्पेनीश पाठ भी उतने ही प्रमाणीक हैं और व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा होगें।

बाल अधिकरों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अग्रसर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा मेद वर्ष 1979 को बाल अधिकारों का घोषित किया।

बच्चों के लिए शिखर सम्मेलन

बच्चों के कल्याण व अधिकार संरक्षण के लिए 30 सितम्बर 1990 को न्यूयार्क में 01 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा एक कार्य योजना बनाई गई जिसका उदेशय राष्ट्रीय सरकारों अन्तर्राष्ट्रीय संरचना द्विपक्षीय सहायता उपकणों ओर गैर सरकारी संगठनों समाज के अन्य क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करना है।

बाल अधिकारों के क्षेत्रीय मानवाधिकारं दस्तावेज

बाल अधिकारों के क्रमिक विकास में क्षैत्र मानवीय अधिकर दस्तावेजों की महतवपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा ही प्रयास **मानव अधिकार और कर्तव्य की घोषणा** 1948 यह प्रवधान करती है कि सभी बच्चे विशेष संरक्षण देखभाल, ओर सहायता का अधिकार रखते हैं। **यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र 1961** भी बच्चों ओर युवजन, को शारीरिक और नैतिक खतरों के विरूद्व विशेष संरक्षण का अधिकार देते हैं। मानव अधिकार का **अमेरिकी अभिसमय** 1969 यह प्रावधान करता है कि बच्चों के चाहे औरस या वर्ण संकर के समान अधिकार का मन्यता देगा। साथ ही प्रत्येक अव्यस्क बच्चा अपने परिवार समाज ओर राज्य की ओर से विशष संरक्षण का अधिकारी होगा।

मानव और जन अधिकारो का **अफ्रीकी चार्टर** 1981 एक सामान्य प्रावधान करता है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं अभिसमय में अनुबद्व महिला और बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करेगें।

भारतीय संविधान में वर्णित बाल अधिकार

भारतीय संविधान समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के संरक्षण एव क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग बच्चों के अधिकारों का भारतीय संविधान मे व्यापक व्यवस्था के साथ–साथ उनके प्रवर्तन का उपाय भी किया गया है। जैनिग्स [05] के अनुसार '' भारतीय सविधान अतीत का उतराधिकारी तथा भविष्य का वसीयत कर्ता भी है''। भारतीय संविधान के भाग तीन व चार मे न केवल बाल अधिकारों का सैद्धान्तिक रूप मे स्वीकार किया गया है अपितु उनके उल्लंघन की स्थिति मे उपचार की भी व्यवस्था की है।

संविधान का भाग–3

संविधान के भाग – 3 में नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। लोगो के लिए नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रमुख उद्देश्य उन्हें भय से मुक्ति दिलाना है।[06] ये अधिकार बच्चों को जीवन जीने मे सहायता करते हैं जिससे वह किसी हीन मनोग्रन्थि का अनुभव न करें, उसका उत्पीडन न हो और न ही उसे किसी प्रकार की यातना दी जाये। दूसरे शब्दों मे नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्वस्तु, स्वतन्त्रता और मानव की समता है संविधान मे निम्नलिखित प्रावधान बच्चों के नागरिक और राजनैतिक हितो की रक्षा के लिये किये गये हैः–

1. राजनैतिक समानता का अधिकार– (अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्छेद – 2) भारतीय सविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, आयु, जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। अन्य आधार बालक की आयु पर बालको से कोई भेदभाव नही होगा इस राजनैतिक समानता से बालक को राजनैतिक पहचान मिलती है।

2. प्राण का अधिकार– (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –6) सविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा।

3. बन्दीकरण और निरोध के विरूद्ध संवैधानिक संरक्षण (बालअधिकार अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्द्धेद 6 भारतीय सविधान किसी भी नागरिक को अनुच्द्धेद 22(1)(2) गिरफ्तारी के विरूद्ध प्रकियात्मक संरक्षण प्रदान करते है जबकि खण्ड (4) से (7) तक के उपबन्ध निरोध के विरूद्ध प्रक्रियात्मक संरक्षा प्रदान करते है।

4. मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध (बालअधिकार अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्छेद 35, 36) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 23 (क) के अनुसार प्रथम मानव दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार के अन्य बालत श्रम का प्रतिषेध होगा तथा अनुच्छेद 23(ख)के अनुसार इस प्रतिषेध का उल्लंघन होगा जो विधि के अनुसार दडनीय है

5. बालक को संकटपूर्ण नियोजनो मे लगाने का प्रतिषेध (अन्तराष्टीय अभिसमय का अनुच्छेद 32)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 19 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या परिसंकटमय नियोजन मे लगाने का प्रतिषेध करता है

6. गैर विभेदीकरण का अधिकार (अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्छेद 2) समानता के सामान्य सिद्धान्त को लागू करते हुए अनुच्छेद –15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अन्यकिसी आधार पर बच्चों से किसी प्रकार का भेद भाव नही किया जा सकता।

7. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वत़ंत्रता (अन्तर्राष्टीय अभ्सिमय का अनुच्छेद12,13,14,17)
भारतीय सविधान का अनुच्द्धेद 19(क) वाक् और अभिव्यक्ति किसी भी रूप मे करने की स्वतंत्रता प्रदान करता हैं।

8. संगठन बनाने की स्वत़ंत्रता (अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्छेद–15)
भारतीय सविधान का अनुच्द्धेद 19(क) ग संघ या संगम का अधिकार समस्त नागरिकों को प्रदान करता है।

9. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 14) अनुच्द्धेद 25(क) सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वत़ंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है।

10. एकान्तता, परिवार पत्राचार एवं ख्याति का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 16 क)
भारतीय सविधान का अनुच्छेद 21 में गहन विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी नागरिक को अपनी दैहिक स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए एकान्तता, परिवार निर्माण, पत्राचार करने, अपना सम्मान बचाने व पूर्ण ख्याति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

11. सवैधानिक उपचारो का अधिकार :– बालअधिकार की बात करना और उन्हें संविधान मे स्थान दिया जाना अर्थहीन होगा यदि उनके प्रवर्तन के लिए प्रभावकारी व्यवस्था न हो। अन्तर्राष्टीय अभिसमय का अनुच्देद 40 के अनुरूप भारतीय सविधान का अनुच्छेद 32 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति भाग–3 मे प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिऐ समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय मे सीधे जा सकता है।

❖ **संविधान के भाग–4 में वर्णित बाल अधिकारः–**संविधान के भाग –4 मे नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार सम्मिलित है।[07] आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण व्यक्ति की मूलभूत और न्यूतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अति आवश्यक है। इन अधिकारों की प्रकति सकारात्मक होती है। इन अधिकारों को राज्य नीति निर्देशक तत्व भी कहते है । इन नीति निर्देशक तत्वो मे निम्नलिखित अधिकार बाल कलयाण की और संकेत करते हैः–

1. काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –4) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत लोगो के लिए काम के अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता की व्यवस्था, बेरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी विकलांकता, बाल श्रमिकों की समस्या या ऐसी ही अन्य अनर्ह अभावो की दशा की सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करें।

2. लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –38) यह अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 26, 27 की भावना के अनुरूप है। देश प्रत्येक नागरिक को उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऐसा करने से बच्चे का स्वतः ही भौतिक, मानसिक, आध्याात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सकेगा।

3. कार्यदशा का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –39ड) इस अनुच्छेद का लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि पुरूष और सभी कर्मकारो के स्वास्थ्य ,शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिको को ऐसे रोजगार मे न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

4. बच्चो के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद –45) इस अनुच्छेद की भावना बालको के अन्तर्राष्टीय अभिसमय के अनुच्छेद 28, 29 के लगभग अनुरूप है। संविधान के भाग–4 मे अनुच्छेद 45 बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर अधिरोपित करता है। वह उसका निर्वहन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

5. आराम ओर अवकाश का अधिकार (अनुच्देद 43) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 31 भी नागरिको के लिए ऐसी ही व्यवस्था करता है। इसमे बच्चों को उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने, सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं मे मुक्त रूप से भाग लेने के बच्चे के अधिकार को मान्यता देते है।

6. पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार (अनुच्छेद 47) यह अनुच्छेद अन्तर्राष्टीय अभिसमय के अनुच्छेद 21, 25, 27, 32, 33 के अनुरूप है। इसमे नागरिको के उचित पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य मे सुधार करने व नागरिको के मानसिक, शारीरिक तथा चारित्रिक स्तर को ऊँचा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति को नशीले पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों से बचाव करें।

7. परिवार के संरक्षण और सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 42) इस अनुच्छेद की भाषा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 9,18 के लगभग समान है। इसमे राज्य को निर्देश है कि वह आम नागरिकों व उनके बच्चों के देखभाल कामगार महिलाओं की आवश्यक दशाओं और प्रसूति सहायता को सुनिश्चित करे।

8. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 41, 45, 46) बाल अधिकार अन्तर्राष्टीय अभिसमय के अनुच्द्धेद 28 29 भी बच्चो की शिक्षा पर ऐसा ही प्रकाश डालते हैं। समझौते मे शमिल देश नागरिकों व उनके बच्चो को समान अवसर के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन रूप, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त विद्यालय खोलने व सहायता की अपेक्षा की गयी है।

9. सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 29 बाल अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 30,31 मे समाहित है। इसमे नागरिकों व उनके बच्चो को सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं मे मुक्त रूप से भाग लेने तथा किसी भी जातीय, धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक या आदिम समूह को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सम्मान देने व बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।

10. अनुच्द्धेद 51 क (ट) इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक माता पिता या अभिभावाक को 6से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा अवश्य उपलब्ध करानी होगी। यह उपबन्ध 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया।

11. शिक्षा का मूल अधिकार भारतीय सविधान संसद ने 4 अगस्त 2009 को भारती संविधान मे एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा। यह मौलिक अधिाकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की गारन्टी देता है। इससे हमारा देश उन देशों की श्रेणी मे आ गया जहाँ शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश मे लागू हुआ।[08]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानव अधिकार घोषणा : अनुच्छेद (2) उद्धृत, त्रिपाठी टी0पी0 'मानव अधिकार एवं अंतराट्रीय विधि' इलाहाबाद ला पब्लिकेशन्स 2004, पृ0 146
2. बच्चों के अधिकार घोषणा 1959 : संयुक्त राष्ट्र महासभा, संकल्प सं. 1386(24)
3. नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा : अनुच्छेद 24 खण्ड 03
4. संयुक्त राष्ट्र महासभा : संकल्प संख्या 40/50 1985 इअर बुक ऑफ द नेशन्स 1985 पृ.सं. 746–748
5. जैनिंग्स : सम केरेक्टेरिसटिक्स ऑफ इंडिया कॉन्सटीट्यूशन्स 1953 पृ. सं. 56 उद्धृत, त्रिपाठी, टी.पी. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद 2004 पृ. स. 65
6. भारतीय संविधान : भाग –3 सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली पृ0सं0 36–40
7. भारतीय संविधान : भाग –4 सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली पृ0सं0 41–46
8. गोयल, डॉ. अनुराधा : सर्व शिक्षा अभियान एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा दृ समाजविज्ञान विकास संस्थान जनवरी अंक 2001 बिजनौर पृ.सं. 127 -